पेपरलेस (Paperless) उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजनाओं के सम्बन्ध में शैक्षणिक संस्थाओं संबंधी दिशा–निर्देश

(विस्तृत दिशा निर्देश पोर्टल पर पृथक से उपलब्ध हैं)

राजकीय, निजी, स्वायत्तशाषी मान्यता प्राप्त, राष्ट्रीय स्तर की सूचीबद्ध शिक्षण संस्थाओं के लिए दिशा–निर्देश :

1. *राज्य एवं राज्य के बाहर की राजकीय, निजी, स्वायत्तशाषी मान्यता प्राप्त, राष्ट्रीय स्तर की शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों के आवेदन पत्र संबंधित शिक्षण संस्थाओं द्वारा संबंधित स्वीकृतकर्ता अधिकारी (जिलाधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग) को ऑनलाईन फारवर्ड किए जाऐगें।*
2. *राज्य की राजकीय, निजी, स्वायत्तशाषी मान्यता प्राप्त, राष्ट्रीय स्तर की शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों के आवेदन पत्र जिस जिले में संबंधित शिक्षण संस्थान स्थित है, उस जिले के स्वीकृतकर्ता अधिकारी (जिलाधिकारी, सान्याअवि) को ऑनलाईन फारवर्ड किए जाऐगें।*
3. *राज्य के बाहर की राजकीय, निजी, स्वायत्तशाषी मान्यता प्राप्त, राष्ट्रीय स्तर की शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों के आवेदन पत्र, विद्यार्थी जिस जिले का मूल निवासी है, उस जिले के स्वीकृतकर्ता अधिकारी (जिलाधिकारी, सान्याअवि) को ऑनलाईन फारवर्ड किए जाऐगें।*
4. सभी शिक्षण संस्थाओं को यूज़र आई.डी. एवं पासवर्ड जारी किए जाऐंगे जो संबंधित जिले के जिला कार्यालय द्वारा संबंधित शिक्षण संस्थान को उपलब्ध करवाये जाऐंगे।
5. यूजर आई.डी एवं पासवर्ड प्राप्त होने के उपरान्त संबंधित शिक्षण संस्थान के उपलब्ध ऑनलाइन आवेदन पत्र में प्रतिवर्ष यथाशीघ्र वांछित प्रविष्टियाँ अंकित की जाऐगी। यदि कोई शिक्षण संस्थान अपना पासवर्ड भूल जाती है तो उसको Reset करने के लिए संबंधित जिलाधिकारी अधिकृत है।
6. वर्ष 2015–16 से उत्तर मैट्रिक छात्रवृति हेतु आवेदन करने वाले राजकीय, निजी, स्वायत्तशाषी मान्यता प्राप्त, राष्ट्रीय स्तर की सूचीबद्ध शिक्षण संस्थाओं द्वारा प्रतिवर्ष प्रोफाइल अपडेट करवानी अनिवार्य होगी।
7. शैक्षणिक संस्थान किस विश्वविद्यालयों एवं बोर्ड आदि से मान्यता/ सम्बद्धता प्राप्त है उसका चयन पोर्टल से किया जाना है। अतः संबंधित संस्थान का मान्यता/सम्बद्धता संबंधी दस्तावेजों की प्रतियां, संशोधन होने की स्थिति में प्रतिवर्ष छात्रवृति पोर्टल पर अपलोड किया जाना आवश्यक होगा।
8. संबंधित शैक्षणिक संस्थान द्वारा कौन–कौनसे पाठयक्रमों का संचालन किया जा रहा है, उनका विवरण छात्रवृति पोर्टल पर अंकित किया जाना अनिवार्य होगा। साथ ही पाठ्यक्रमों की मान्यता/सम्बद्धता संबंधी दस्तावेजों की प्रतियां भी पोर्टल पर अपलोड किया जाना आवश्यक होगा। यदि पाठ्यक्रमों में परिवर्तन/संशोधन होता है तो संशोधित पाठ्यक्रमों की प्रतियां छात्रवृति पोर्टल पर अपलोड किया जाना आवश्यक होगा।
9. शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा वर्षवार एवं मदवार ली जा रही निम्नलिखित फीस की राशि का विवरण प्रतिवर्ष छात्रवृति पोर्टल पर सत्यापन किया जाना आवश्यक होगा। संस्थान द्वारा विद्यार्थी को जारी की जाने वाली फीस की रसीद में निम्नलिखित मदवार प्राप्त किए गए

शुल्क का विवरण स्पष्ट रूप से अंकित जाना वांछनीय है ताकि उत्तर मैट्रिक छात्रवृति के विद्यार्थी को पुर्नभरण करने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हो :–

a. पंजीकरण शुल्क (Registration Fee)
b. नामांकन शुल्क (Enrolment Fee)
c. शिक्षण शुल्क (Tuition Fee)
d. खेल–कूद शुल्क (Games Fee)
e. संगठन (यूनियन) शुल्क (Union Fee)
f. पुस्तकालय शुल्क (Library Fee)
g. पत्रिका शुल्क (Magazine Fee)
h. परीक्षा शुल्क (Examination Fee)

10. क्रम संख्या 6 में अंकित उक्त शुल्कों के अतिरिक्त विद्यार्थी को Other Fees के नाम से किसी प्रकार की राशि देय नहीं होगी। क्रम संख्या 6 में उल्लेखित मदों का मदवार विवरण विद्यार्थी द्वारा ऑनलाईन अंकित नहीं करने की स्थिति में विद्यार्थी को पुर्नभरण की जाने वाली छात्रवृति राशि का पुर्नभरण संभव नहीं होगा। अतः विद्यार्थी द्वारा उक्त शुल्कों का अलग–अलग विवरण अंकित किया जाना अनिवार्य होगा।
11. वर्ष 2015–16 से उत्तर मैट्रिक छात्रवृति आवेदन पत्र पेपरलेस किया जा रहा है। अतः विद्यार्थियों द्वारा पंजीकरण किए गए ऑनलाईन आवेदन पत्र की हार्डकॉपी को संबंधित शिक्षण संस्थान में जमा नहीं कराया जाएगा।
12. विद्यार्थियों द्वारा आवेदन पत्र ऑनलाइन लॉक करने के उपरान्त, संबंधित शैक्षणिक संस्थान के आई. डी. पर ऑनलाईन उपलब्ध हो जाएगा।
13. शैक्षणिक संस्थान द्वारा प्रत्येक आवेदन पत्र एवं उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों की गहनता से जांच करनी होगी।
14. अगर शैक्षणिक संस्थान को विद्यार्थी द्वारा ऑनलाईन प्रेषित सूचना में किसी प्रकार की कोई त्रुटि ज्ञात होती है तो उनके द्वारा ऐसे आवेदन पत्र में ऑनलाईन आक्षेप अंकित किया जावेगा।
15. संस्थान द्वारा ऑनलाईन आक्षेप करने के उपरान्त आक्षेपित आवेदन पत्र संबंधित विद्यार्थी को आक्षेप पूर्ति हेतु ऑनलाईन उपलब्ध होगा।
16. विद्यार्थी द्वारा आक्षेप पूर्ति के लिए अधिकतम 7 दिवस का समय निर्धारित किया गया है। अतः विद्यार्थी को 7 दिवस में आक्षेप पूर्ति कर संबंधित शिक्षण संस्थान को ऑनलाईन प्रेषित करना होगा।
17. विद्यार्थी द्वारा 7 दिवस में आक्षेप की पूर्ति नहीं की जाती है तो उनका आवेदन स्वतः ही निरस्त हो जाएगा, इसके लिए विद्यार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। आवेदन निरस्त होने के उपरान्त यदि आवेदन पत्र आमंत्रित करने हेतु छात्रवृति पोर्टल खुला है तो विद्यार्थी को पुनः पंजीकरण कर अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकता है, अन्यथा नहीं।
18. विद्यार्थी द्वारा जान–बूझकर मिथ्या तथ्य प्रस्तुत कर छात्रवृति प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है और इसकी जानकारी संस्थान को प्राप्त होती है तो संस्थान द्वारा ऐसे विद्यार्थी का आवेदन पत्र स्थाई रूप से निरस्त कर दिया जाए। ऐसा करते समय यह ध्यान में रखना आवश्यक है कि स्थाई रूप से निरस्त आवेदन पत्रों को किसी भी स्तर से पुनः

प्रक्रियागत नहीं किया जा सकेगा। इसके लिए किसी भी प्रकार का पत्राचार स्वीकार्य नहीं होगा।

19. मिथ्या तथ्य एवं गलत जानकारी के आधार के पर उत्तर मैट्रिक छात्रवृति प्राप्त करने वाले ऐसे विद्यार्थी के विरूद्ध संस्थान द्वारा आपराधिक कार्यवाही प्रस्तावित की जाएगी। इसकी सूचना राज्य स्तर के प्रभारी अधिकारी/नोडल अधिकारी के एकाउन्ट में भी अग्रिम कार्यवाही हेतु अग्रेषित की जाएगी। उनके स्तर पर निर्णय लिया जाएगा कि ऐसे विद्यार्थियों के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज करवाने की कार्यवाही प्रारम्भ की जाए है तथा ऐसे विद्यार्थियों को विभाग की ओर से मिलने वाली छात्रवृति के लिए भविष्य में स्थाई रूप से विवर्जित (डी–बार) एवं ब्लैक लिस्टेड किया जाए।

20. शैक्षणिक संस्थान द्वारा केवल वे ही आवेदन पत्र स्वीकृतिकर्ता अधिकारी को अग्रेषित किए जाएगें जिनकी सत्यता के बारे में शिक्षण संस्थान का संस्था प्रधान अथवा छात्रवृति हेतु प्राधिकृत अधिकारी पूर्णतः संतुष्ट है।

21. ऑनलाइन आवेदन पत्र एवं उसके साथ स्केन कर अपलोड किये गये दस्तावेजों की गहन जांच के उपरान्त संबंधित शैक्षणिक संस्थान द्वारा छात्रवृति स्वीकृति योग्य आवेदन पत्रों को स्वीकृति हेतु सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के संबंधित जिलाधिकारी को डिजीटल हस्ताक्षर (DSC) के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन पत्र अग्रेषित करेंगे।

22. **यदि शैक्षणिक संस्थान द्वारा आवेदन अग्रेषित करने के उपरान्त स्वीकृतकर्ता अधिकारी को जानकारी प्राप्त होती है कि वास्तविक तथ्यों में कोई फेरबदल कर या कोई तथ्य छुपाया जाकर है या किसी तथ्य को तोड–मरोड कर प्रस्तुत किया जाकर विभाग/सरकार को गुमराह करते हुए या छल–कपट कर बेइमानी के आधार पर छात्रवृति राशि प्राप्त करने हेतु विद्यार्थी ने आवेदन किया है तथा उक्त विद्यार्थी की छात्रवृति स्वीकृत करने हेतु शिक्षण संस्था द्वारा अनुशंषा की गई है, तो विद्यार्थी एवं शिक्षण संस्थान का उक्त कृत्य भारतीय दण्ड संहिता की धारा 177, 197, 198, 199, 200, एवं 420 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। ऐसे कृत्य करने पर विद्यार्थी, संबंधित शिक्षण संस्था के संस्था प्रधान अथवा छात्रवृति हेतु प्राधिकृत अधिकारी के विरूद्ध फौजदारी मुकदमा दर्ज करवाया जायेगा। इन धाराओं में दोषी पाये जाने संबंधित को 3 से 7 वर्ष तक के कारावास की सजा हो सकती है।**

शैक्षणिक संस्थाओं को ऑनलाईन प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच प्रक्रिया :

1. वर्ष 2015–16 से उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति के आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया Paper Less होने के कारण शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा आवेदन पत्रों की जांच करने के लिए विद्यार्थी द्वारा आवेदन पत्र की हार्डकॉपी/मूल प्रति मय अनुसंलग्नक विद्यार्थी द्वारा Submit नहीं किए जाऐंगे।
2. शैक्षणिक सत्र 2015–16 से सभी प्रकार के शिक्षण संस्थाओं अर्थात राजकीय, स्वायत्तशाषी, निजी मान्यता प्राप्त, राष्ट्रीय स्तर की सूचीबद्व शिक्षण संस्थाओं के विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति के ऑन लाइन प्राप्त आवेदन पत्रों की स्वीकृति संबंधित जिले के जिलाधिकारी द्वारा ही जारी की जावेगी। **राजकीय संस्थाओं द्वारा किसी प्रकार की स्वीकृति जारी नहीं की जावेगी।** भविष्य में इन्हें विभाग द्वारा इस हेतु किसी प्रकार का बजट उपलब्ध नहीं करवाया जावेगा। वर्तमान में प्रदत्त बजट केवल 2014–15 तक प्राप्त आवेदन

पत्रों की स्वीकृति जारी कर संबंधित विद्यार्थियों के बैंक खातों में माध्यम से राशि जमा करवाने के लिए ही उपलब्ध करवाया गया है।

3. सेमेस्टर/ट्राईमेस्टर आधार पर संचालित किए जा रहे पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत विद्यार्थियों द्वारा प्रत्येक सेमेस्टर/ट्राईमेस्टर के लिए शैक्षणिक संस्थान में अलग–अलग (सेमेस्टर/ट्राईमेस्टर वाइज) फीस जमा करवाने की स्थिति में अधिकतम निर्धारित फीस सीमा तक देय राशि पुनर्भरण करवाने हेतु ऑनलाईन पोर्टल पर लॉगइन कर अपनी फीस का ऑनलाईन विवरण अंकित कर, फीस की रसीद स्कैन कर अपलोड कर विद्यार्थी द्वारा एक से अधिक बार ऑनलाईन आवेदन करने की स्थिति में शिक्षण संस्था द्वारा विद्यार्थी को एक शैक्षणिक वर्ष में संबंधित पाठ्यक्रम के लिए कुल निर्धारित देय राशि की सीमा तक एक से अधिक बार स्वीकृतकर्ता अधिकारी को ऑनलाईन फारवर्ड करना होगा।
4. सभी शैक्षणिक संस्थाओं के खाते में ऑनलाईन प्राप्त सभी आवेदन पत्रों की गहनता से जांच की जानी आवश्यक होगी।
5. सभी शैक्षणिक संस्थाओं को प्राप्त आवेदन पत्र प्रस्तुत किए जाने की दिनांक एवं समय के अनुसार बढ़ते हुए क्रम में प्रदर्शित होंगे। जिनकी एक–एक कर उनके द्वारा जांच की जा सकेगी। सर्व प्रथम ऑनलाईन प्राप्त आवेदन की जांच करने के उपरान्त उसे अस्वीकृत/स्वीकृति योग्य अथवा आक्षेपित किए जाने के उपरान्त ही द्वितीय नम्बर पर प्राप्त आवेदन पत्र संस्थान को दिखाई देगा।
6. शैक्षणिक संस्थान द्वारा आवेदन पत्रों की जांच करते समय निम्नलिखित बिन्दुओं को गहनता से जांच करते हुए छात्रवृति पोर्टल पर उपलब्ध वांछित स्थान पर Yes/No का Radio Button में से किसी एक का चयन करना होगा। यदि किसी बिन्दु के सामने No Radio Button का चयन किया जाता है तो ऐसी स्थिति में आवेदन आक्षेपित की श्रेणी में चला जाएगा, एवं संबंधित विद्यार्थी द्वारा आक्षेप की पूर्ति करने के उपरान्त ही उस पर शैक्षणिक संस्थान द्वारा अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी।
7. विद्यार्थी के द्वारा आवेदन पत्र के साथ स्कैन कर ऑनलाईन अपलोड किए गए प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों की गहनता से जांच कर दस्तावेजों के आधार पर बिन्दुओं पर Yes/No अंकित करना होगा। जांच के विस्तृत बिन्दु परिशिष्ट–"ब" पर संलग्न है। जांच के विस्तृत बिन्दु परिशिष्ट–"ब" पर संलग्न है।
8. शैक्षणिक संस्थाओ को प्राप्त होने वाले समस्त ऑनलाईन आवेदन पत्रों की 10 दिवस में जांच कर अपात्र आवेदन पत्रों को अस्वीकृत, अपूर्ण आवेदन पत्रों को आक्षेपित एवं छात्रवृति के पात्र आवेदन पत्रों को स्वीकृति हेतु स्वीकृतकर्ता अधिकारी को ऑनलाईन फारवर्ड किया जायेगा।
9. यदि शैक्षणिक संस्थान द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों पर **<u>10 दिवस</u>** में कोई कार्यवाही नहीं की जाती है तो ऐसे सभी आवेदन पत्र स्वतः ही निरस्त हो जाऐंगे एवं उन पर **<u>"Not Timely Processed by Institute"</u>** आक्षेप अंकित हो जाएगा, जो कि विद्यार्थी को एस.एम.एस. एवं ई–मेल के माध्यम से भी प्रदर्शित होगा। निरस्त होने की स्थिति में, यदि ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने हेतु छात्रवृति पोर्टल खुला है तो विद्यार्थी पुनः पंजीकरण कर अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा, अन्यथा नहीं।
10. शैक्षणिक संस्थाओं को प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच के उपरान्त श्रेणी वार अधिकतम 25–25 विद्यार्थियों का प्रस्ताव तैयार होगा, नूतन एवं नवीनीकरण के प्रकरणों के प्रस्ताव पृथक–पृथक तैयार किए जाएगें।

11. यदि किसी संस्थान में विद्यार्थियों की संख्या श्रेणीवार 25 से कम होती है तो ऐसे संस्थानों का 25 से कम विद्यार्थियों का प्रस्ताव ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथी के उपरान्त ही तैयार हो सकेगा। परन्तु शैक्षणिक संस्थान द्वारा प्राप्त आवेदनों की जांच की कार्यवाही निर्धारित समय सीमा (10 दिवस) में करनी आवश्यक होगी। अन्यथा आवेदन पत्र स्वतः ही निरस्त हो जाऐंगे एवं उन पर **"Not Timely Processed by Institute"** आक्षेप अंकित हो जाएगा।
12. स्वीकृति योग्य आवेदन पत्रों के 25–25 के प्रस्ताव Digital Signature (DSC) के माध्यम से ऑन लाईन स्वीकृतिकर्ता को अग्रेषित किया जाना होगा। साथ ही प्रस्ताव की सूची को शैक्षणिक संस्था के संस्था प्रधान अथवा छात्रवृति हेतु संस्थान के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर एवं शैक्षणिक संस्थान की सील लगाने के उपरान्त स्वीकृतिकर्ता अधिकारी के कार्यालय में मूल रूप से प्रस्तुत किया जाना होगा।
13. शैक्षणिक संस्था के संस्था प्रधान अथवा छात्रवृति हेतु संस्थान के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र छात्रवृति स्वीकृतकर्ता अधिकारी को ऑनलाइन Forward करने एवं साथ ही प्रस्ताव की सूची को शैक्षणिक संस्था के संस्था प्रधान अथवा छात्रवृति हेतु संस्थान के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर एवं शैक्षणिक संस्थान की सील लगाने के उपरान्त स्वीकृतिकर्ता अधिकारी के कार्यालय में मूल रूप से प्रस्तुत किया जाने से पूर्व निम्नलिखित घोषणा का गहनता से अध्ययन करने के उपरान्त यह जानते एवं समझते हुए कि "I Agree" का बटन दबाना आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर करने के बराबर होगा।
    i. 25–25 के प्रस्ताव में सम्मिलित ऑनलाईन आवेदनों में दी गई सभी जानकारी तथा तथ्य पूर्णतया सत्य है।
    ii. ऑनलाईन आवेदन पत्रों के साथ सभी दस्तावेजों की स्वप्रमाणित स्कैन्ड कर अपलोड की गई प्रतियां सही हैं एवं इनमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव या जालसाजी नहीं की गई है।
    iii. शैक्षणिक संस्था के संस्था प्रधान अथवा छात्रवृति हेतु संस्थान के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते मैं, यह अच्छी तरह से समझता हूं कि यदि उपरोक्त संलग्न दस्तावेजों में फेर–बदल किया गया है या किसी तथ्य को छुपाया गया है या किसी तथ्य को तोड़–मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया है या सरकार को किसी भी तरह से गुमराह करने का प्रयास किया है या छल–कपट पूर्वक बेईमानी के आधार पर छात्रवृत्ति राशि प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन आवेदन कियें है तो सरकार आईपीसी के धारा 177, 197, 198, 199, 200 एवं 420 के तहत हमारे विरूद्ध फौजदारी मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही करने के लिए विभाग पूर्णतः स्वतन्त्र है। मैं यह भी जानता हूं कि न्यायालय द्वारा दोषी पाए जाने के परिणामस्वरूप मुझे 3 वर्ष से 7 वर्ष तक की कैद हो सकती है।

शैक्षणिक संस्था के संस्था प्रधान अथवा छात्रवृति हेतु संस्थान के प्राधिकृत अधिकारी को उपरोक्त बिन्दुओं से सहमत होते हुए ऑनलाइन Forword का बटन दबाना होगा। तथा उपरोक्तानुसार छात्रवृति स्वीकृति हेतु छात्रवृति स्वीकृतकर्ता अधिकारी के कार्यालय को प्रेषित मूल प्रस्ताव की सूची के नीचे i से iii अंकित कर, शैक्षणिक संस्था के संस्था प्रधान अथवा छात्रवृति हेतु संस्थान के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर एवं शैक्षणिक संस्थान की सील लगाने के उपरान्त स्वीकृतिकर्ता अधिकारी के कार्यालय में मूल रूप से प्रस्तुत किया जाना होगा।

14. स्वीकृतिकर्ता अधिकारी के कार्यालय में ऑनलाईन अग्रेषित करने के उपरान्त मूल प्रस्ताव प्रस्तुत करने पर स्वीकृतिकर्ता अधिकारी के कार्यालय द्वारा पावती प्रदान की जाएगी जिसे शैक्षणिक संस्थान अपने रिकार्ड में संधारित करेगी।
15. शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा आवेदन पत्र स्वीकृतिकर्ता अधिकारी को अग्रेषित करते समय Digital Signature की आवश्यकता होगी। इसके अभाव में वे आवेदन पत्र अग्रेषित नहीं कर सकेंगे। अतः सभी शैक्षणिक संस्थाओं से अपेक्षा की जाती है कि वे समय रहते अपने संस्थान के प्राधिकृत अधिकारी के Digital Signature बनवा लेवे।
16. विद्यार्थी को आक्षेप की पूर्ति के लिए भी अधिकतम **सात दिन** समय प्रदान किया जाएगा। यदि विद्यार्थी सात दिन में आक्षेप की पूर्ति नहीं करता है तो ऐसा आवेदन स्वतः ही निरस्त हो जाएगा। यदि ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने हेतु पोर्टल खुला है तो विद्यार्थी को पुनः पंजीकरण कर अपना आवेदन प्रस्तुत करना होगा अन्यथा नहीं। इस संबंध में संस्थान द्वारा विद्यार्थी को पूर्ण जानकारी उपलब्ध करवानी होगी।

प्रशिक्षण :

उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजनाओं के सफल क्रियान्वयन हेतु निम्नानुसार 3 स्तरों पर प्रशिक्षण आदि की व्यवस्था की जावेगी :

i. **निदेशालय स्तर :** उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजनाओं के सफल क्रियान्वयन में आने वाली नीतिगत निर्देशों एवं तकनीकी कठिनाईयों के निराकरण हेतु निदेशालय स्तर पर आवश्यकतानुसार निदेशालय, जिला कार्यालयों एवं शिक्षण संस्थाओं में कार्यरत अधिकारियों एवं संबंधित कार्मिकों को आमुखीकरण, कार्यशाला, विडियों कान्फ्रेन्स आदि आयोजित किया जाकर प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। प्रशिक्षित कार्मिकों द्वारा ऑन लाईन पोर्टल पर आ रही समस्याओं का यथासमय निराकरण किया जायेगा।

ii. **जिला मुख्यालय स्तर** : उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजनाओं के सफल क्रियान्वयन में आने वाली नीतिगत निर्देशों एवं तकनीकी कठिनाईयों के निराकरण हेतु जिला स्तर पर आवश्यकतानुसार जिला कार्यालयों में कार्यरत लेखाकार /कनिष्ठ लेखाकार, सूचना सहायक, छात्रवृति लिपिक को ऑनलाईन आवेदन की जांच, ऑनलाईन स्वीकृति एवं ऑनलाईन बिल बनाने की प्रक्रिया तथा शिक्षण संस्थाओं में कार्यरत अधिकारियों एवं संबंधित कार्मिकों को छात्रवृति नियमों एवं पोर्टल संबंधी तकनीकी जानकारी प्रदान कर ऑनलाईन पोर्टल पर आ रही समस्याओं का यथासमय निराकरण किया जायेगा।

iii. **शिक्षण संस्था स्तर** : उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजनाओं के सफल क्रियान्वयन में आने वाली नीतिगत निर्देशों एवं तकनीकी कठिनाईयों के निराकरण हेतु शिक्षण संस्थाओं के स्तर पर आवश्यकतानुसार शिक्षण संस्थाओं में कार्यरत संबंधित कार्मिकों एवं विद्यार्थियों को छात्रवृति नियमों, शिक्षण संस्थान का फीस स्ट्रेक्चर, ऑनलाईन आवेदन पत्र में भरे जाने वाले फीसों का विवरण, आवेदन करने हेतु ऑनलाईन पंजीकरण करने हेतु वांछित दस्तावेज, पोर्टल की ऑनलाईन प्रक्रिया एवं पोर्टल संबंधी तकनीकी जानकारी प्रदान की जायेगी।

सामान्य अनुदेश : विद्यार्थी एवं शिक्षण संस्थाओं से अपेक्षायें :–

1. शैक्षणिक सत्र 2015–16 से शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा आवेदन पत्रों पर कार्यवाही करने के लिए समय सीमा निर्धारित की गई है, इसका उल्लेख यथा स्थान पर किया गया है, सभी

शैक्षणिक संस्थाओं से अपेक्षा की जाती है कि वे समय सीमा का विशेष ध्यान रखें, इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता देने का अधिकार किसी भी स्तर पर नहीं है।

2. शैक्षणिक संस्थान द्वारा विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र पर किसी प्रकार का आक्षेप अंकित होने अथवा निरस्त किए जाने की स्थिति में उन्हें पोर्टल पर उनके द्वारा प्रदत्त मोबाईल नम्बर पर एस.एम.एस. एवं ई–मेल के माध्यम से अवगत करवाया जाएगा।
3. यदि संस्था द्वारा आक्षेप पूर्ति कर ऑनलाईन आवेदन पत्र निर्धारित समयावधि में पुनः प्रेषित नहीं किया जाता है तो आवेदन पत्र स्वतः ही निरस्त हो जाएगा, जिसके लिए स्वयं शिक्षण संस्थान जिम्मेदार होगी।
4. वर्ष 2015–16 से उत्तर मैट्रिक छात्रवृति हेतु ऑनलाईन आवेदन करना एक पेपरलेस प्रक्रिया है। अतः शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा विद्यार्थी को अवगत करवाना अपेक्षित है कि वे कहीं से भी अपने आवेदन पत्र में अंकित आक्षेप की पूर्ति की जा सकेगी।
5. शैक्षणिक संस्थाओं से यह अपेक्षा की जाती है कि स्वीकृतकर्ता अधिकारियों को ऑनलाईन फारवर्ड करने एवं प्रस्तावों की सूची जिला कार्यालयों में प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित समयावधि का विशेष ध्यान रखा जावे। निर्धारित समयावधि में कार्यवाही पूर्ण नहीं करने की स्थिति में आवेदन पत्र निर्धारित समयावधि के उपरान्त स्वतः ही निरस्त हो जायेंगे। उन्हें किसी भी स्तर पर पुनः प्रक्रिया में नहीं लिया जा सकेगा।
6. शिक्षण संस्थाओं से अपेक्षा की जाती है कि छात्रवृत्ति आवेदन पत्रों की स्थिति की जानकारी लेने के विभागीय जिला कार्यालयों अथवा मुख्यालय में अनावश्यक रूप से सम्पर्क ना करें, इस हेतु पोर्टल पर पूर्ण जानकारी उपलब्ध करवाने का प्रयास किया गया है।

परिशिष्ट "अ"

मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा छात्रवृति योजना हेतु राष्ट्रीय स्तर के शिक्षण संस्थान

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IITs)			
Sl. No	**Name of the Institute**	**Location**	**State**
1	Indian Institute of Technology Delhi	Hauz Khas, New Delhi-110016	Delhi
2	Indian Institute of Technology Kharagpur	Kharagpur-721302	West Bengal
3	Indian Institute of Technology Kanpur	PO IIT, Kanpur-208076	Uttar Pradesh
4	Indian Institute of Technology Bombay	Powai, Mumbai-400076	Maharashtra
5	Indian Institute of Technology Guwahati	Institute of Engineers Building, Pan Bazar, Guwahati-781001	Assam
6	Indian Institute of Technology Roorkee	Roorkee-247667	Uttarakhand
7	Indian Institute of Technology Chennai	PO IIT, Chennai-600036.	Tamil Nadu
8	Indian Institute of Technology Ropar	Nangal Road, Rupnagar, Punjab	Punjab
9	Indian Institute of Technology Bhubaneswar	Samantapuri (Rearside of Hotel Swosti Plaza), Bhubaneswar	Orissa
10	Indian Institute of Technology Rajasthan	IIT Rajastan Camp Office, MBM Engineering College, Jodhpur.	Rajasthan
11	Indian Institute of Technology Gandhinagar	Vishwakarma Govt. Engineering College at Chandkheda, Gandhinagar-382424	Gujarat
12	Indian Institute of Technology Patna	I.I.T. Patna, Navin Govt. Polytechnic Campus, Patliputra Colony, Patna-800013	Bihar
13	Indian Institute of Technology Hyderabad	I.I.T. Hyderabad Ordnance Factory Estate, Yeddumailaram-502205	Andhra Pradesh
14	Indian Institute of Technology Mandi	PWD Rest House 2nd floor, Near Bus Stand Mandi- 175001	Himachal Pradesh
15	Indian Institute of Technology, Indore	Devi Ahilya Vishwavidyala Campus, Khandwa Road, Indore	Madhya Pradesh
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के समकक्ष संस्थान			
1	Indian School of Mines Dhanbad	Dhanbad - 826004	Bihar
2	Institute of Technology, Banaras Hindu University Varanasi	Varanasi - 221005	Uttar Pradesh
भारतीय प्रबंधन संस्थान			
1	Indian Institute of Management Ahmedabad	Vastapur, Ahmedabad-380015	Gujarat
2	Indian Institute of Management Bangalore	Bannerghat Road,Bangalore-560076	Karnataka
3	Indian Institute of Management Kolkata	Joka, Post Box No.16757, Alipara PO, Kolkata-700027	West Bengal
4	Indian Institute of Management Lucknow	Post Box No.2, Aliganj Extension, Part II, Lucknow-226020	Uttar Pradesh

5	Indian Institute of Management Kozhikode	Kozhikode, Calicut-673601	Kerala
6	Indian Institute of Management Indore	Indore	Madhya Pradesh
7	Rajiv Gandhi Indian Institute of Management Shillong	Mayurbhanj Complex, Nongthymai, Shillong – 793 014	Meghalaya
8	Indian Institute of Management Raipur	Government Engineering College Campus, Old Dhamtari Road, Sejbahar, Raipur -492015	Chhattisgarh
9	Indian Institute of Management Rohtak	Humanities Block, MDU Rohtak, Rohtak - 124001	Haryana
10	Indian Institute of Management Ranchi	Suchna Bhawan, Audrey House Campus, Meur's Road, Ranchi - 834008	Jharkhand
11	Indian Institute of Management Udaipur	Polymer Science Building, Udaipur, Rajasthan	Rajasthan
12	Indian Institute of Management Tiruchirappalli	Located at NIT Trichy	Tamil Nadu
13	Indian Institute of Management Kashipur	Escort Farm, Kashipur, Uttarakhand	Uttarakhand
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स)			
1	All India Institute of Medical Sciences Delhi	Ansari Nagar, New Delhi	Delhi
2	All India Institute of Medical Sciences, Patna, Bihar	Patna, Bihar	Bihar
3	All India Institute of Medical Sciences, Raipur, Chhatisgarh	Raipur, Chhatisgarh	Chhatisgarh
4	All India Institute of Medical Sciences, Bhopal, Madhya Pradesh	Bhopal, Madhya Pradesh	Madhya Pradesh
5	All India Institute of Medical Sciences, Bhubaneshwar, Odisha	Bhubaneshwar, Odisha	Odisha
6	All India Institute of Medical Sciences, JODHPUR, Rajasthan	JODHPUR, Rajasthan	Rajasthan
भारतीय विज्ञान संस्थान			
1	Indian Institute of Science	Banglore	Karnataka
भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान			
1	Indian Institute of Science Education and Research	Kolkata	West Bengal
2	Indian Institute of Science Education and Research	Bhopal	M.P.
3	Indian Institute of Science Education and Research	Thiruvananthapuram,	Kerala
4	Indian Institute of Science Education and Research	Mohali	Punjab
5	Indian Institute of Science Education and Research	Puna	Maharastra
भारतीय अन्तरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान			
1	Indian Institute of Space Science and Technology	Thiruvananthapuram,	Kerala

राष्ट्रीय स्तर के मेडिकल कॉलेज			
1	Jawaharlal Institute of Postgraduate Medical Education & Research Pondicherry	Dhanvantri Nagar, Gorimedu, Pondicherry - 605 006	Puducherry
2	Vardhaman Mahavir Medical College & Safdarjung Hospital Delhi	New Delhi	Delhi
3	B J Medical College Ahmedabad	Ahmedabad - 380016	Gujarat
4	Govt. Medical College Calicut	Kozhikode, Calicut - 673008	Kerala
5	Medical College Thiruvananthapuram	Thiruvananthapuram, Kerala -695011	Kerala
6	Government Medical College Vellore	Vellore	Tamil Nadu
7	Maulana Azad Medical College New Delhi	Bahadur Shah Zafar Rd, New Delhi-110002	Delhi
8	Lady Hardinge Medical College New Delhi	Bhagat Singh Road, New Delhi - 110001	Delhi
9	Institute of Medical Sciences, Banaras Hindu University Varanasi	Banaras Hindu University Varanasi - 221005	Uttar Pradesh
10	Madras Medical College Chennai	Dr. EVR Salai, Chennai- 600003	Tamil Nadu
11	Grant Medical College Mumbai	Sir J J Hospital, Byculla, Mumbai - 400008	Maharashtra
12	King Edward Memorial Hospital and SGS Medical College, Mumbai	Acharya Donde Marg, Parel, Mumbai 400 012	Maharashtra
राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (NITs)			
1	National Institute of Technology Warangal	Warangal – 506004	Andhra Pradesh
2	National Institute of Technology Silchar	Silchar – 788010	Assam
3	National Institute of Technology Patna	Patna – 800005	Bihar
4	Sardar Vallabhbhai National Inst.of Technology Surat	Surat – 395607	Gujarat
5	National Institute of Technology Jamshedpur	Jamshedpur – 831014	Jharkhand
6	National Institute of Technology Surathkal	Surathkal – 574157	Karnataka
7	National Insitute.of Technology Calicut	NIT Campus P.O., Calicut - 673 601	Kerala
8	Visvesvaraya National Institute of Technology Nagpur	South Ambazari Road, Nagpur, Pin 440010	Maharashtra
9	National Institute of Technology Rourkela	Rourkela 769008	Orissa
10	Dr B R Ambedkar National Inst.of Technology Jalandhar	Jalandhar - 144004	Punjab
11	National Institute of Technology Kurukshetra	Kurukshetra-132119	Haryana
12	National Institute of Technology Hamirpur	Hamirpur-177001	Himachal Pradesh
13	National Institute of Technology Hazaratbal	Hazaratbal, Srinagar-190006	J & K
14	Maulana Azad National Inst.of Technology	Bhopal-462007	MP
15	Malaviya National Inst.of Technology Jaipur	Jaipur - 302017	Rajasthan
16	National Institute of Technology Durgapur	Durgapur - 713209	West Bengal
17	National Institute of Technology Trichy	Tiruchirappalli - 620015	Tamil Nadu
18	Motilal Nehru National Inst.of Technology Allahabad	Allahabad-211004	Uttar Pradesh
19	National Institute of Technology Agartala	Agartala	Tripura
20	National Institute of Technology Raipur	Raipur	Chhattisgarh
21	National Institute of Technology Manipur	Manipur (NIT Agartala – 799055)	Manipur

22	National Institute of Technology Sikkim	Sikkim (NIT Calicut – 673601, Kerala)	Sikkim
23	National Institute of Technology Arunachal Pradesh	Arunachal Pradesh (NIT Durgarpur – 713209)	Arunachal Pradesh
24	National Institute of Technology Uttarakhand	Uttarakhand (NIT Kurukshetra – 136119, Haryana)	Uttarakhand
25	National Institute of Technology Mizoram	Mizoram (Visvesvaraya NIT, Nagpur – 440011)	Mizoram
26	National Institute of Technology Nagaland	Nagaland (NIT Silchar – 788010, Assam)	Nagaland
27	National Institute of Technology Meghalaya	Meghalaya (Sardar Vallabhbhai NIT, Surat – 395007, Gujarat)	Meghalaya
28	National Institute of Technology Goa	Goa (NIT Surathkal – 575025, Karnataka)	Goa
29	National Institute of Technology Puducherry	Puducherry (NIT Tiruchirappalli – 620015, Tamil Nadu)	Puducherry
30	National Institute of Technology Delhi	Delhi (NIT Warangal – 506004, A.P.)	Delhi
राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय			
1	National Law School of India University	PO Bag-7201, Nagarbhavi, Bangalore - 560072	Karnataka
2	National Law Institute University Bhopal	Bhopal	Madhya Pradesh
3	NALSAR University of Law Hyderabad	Barkatpura, Hyderabad	Andhra Pradesh
4	National Law University Jodhpur	NH-65, Nagour Road, Mandore, Jodhpur - 342304	Rajasthan
5	The WB National University of Juridical Sciences Kolkata	Dr. Ambedkar Bhavan 12, LB Block, Sector III, Salt Lake City, Kolkata - 700098	West Bengal
6	Hidayatullah National Law University Raipur	HNLU Bhawan, Civil Lines, Raipur, Chhattisgarh-492001	Chhattisgarh
7	Gujarat National Law University Gandhinagar	E-4, GIDC Electronics Estate, Sector 26, Gandhinagar - 382028	Gujarat
8	Ram Manohar Lohia National Law University, Lucknow	Sector-D1, LDA Colony, Kanpur Road Scheme, Lucknow - 226012	Uttar Pradesh
9	Rajiv Gandhi National University of Law, Patiala	Mohindra Kothi, Mall Road, Patiala - 147001	Punjab
10	Chanakya National Law University, Patna	Nyaya Nagar, Mithapur, Patna - 800001	Bihar
11	National University of Advanced Legal Studies, Kochi	Kaloor, Kochi - 682 017	Kerala
12	National Law University, Delhi	Sector 14, Dwarka, New Delhi - 110078	Delhi

परिशिष्ट – "ब"

शिक्षण संस्थाओं, जिला स्तरीय छात्रवृति लिपिकों, स्वीकृतकर्ता जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्रों में ऑनलाईन अपलोड किए गए दस्तावेजों के आधार पर जांच के बिन्दु

क्र. सं.	जांच के बिन्दु/दस्तावेज का विवरण	जांच कार्मिक/जांच अधिकारी	जांच के बिन्दु	हाँ/नहीं
1	शिक्षण संस्थान में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर जांच के बिन्दु –	**शिक्षण संस्था के संस्था प्रधान**	• क्या विद्यार्थी वर्तमान सत्र में आपके शैक्षणिक संस्थान का पंजीकृत विद्यार्थी है?	• Yes/No
			• क्या विद्यार्थी के स्थाई पते का शैक्षणिक संस्थान के रिकार्ड में उपलब्ध स्थाई पते से मिलान कर लिया गया है।	• Yes/No
			• क्या विद्यार्थी द्वारा अंकित पाठ्यक्रम एवं ब्रांच का संस्थान के रिकार्ड से मिलान कर लिया गया है।	• Yes/No
			• क्या विद्यार्थी संस्थान द्वारा संचालित छात्रावास में आवासित है?	• Yes/No
			• क्या विद्यार्थी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित राजकीय/अनुदानित /मान्यता प्राप्त निजी जन सहभागिता छात्रावास में आवासित है?	• Yes/No
2	दसवीं कक्षा की अंक तालिका (केवल नवीन आवेदन के लिए)	**शिक्षण संस्था के संस्था प्रधान /जिला स्तरीय छात्रवृति लिपिक/जिला स्तरीय स्वीकृतकर्ता अधिकारी**	• क्या दसवीं की अंकतालिका सक्षम स्तर से जारी की गई है?	• Yes/No
			• क्या दसवीं की अंक तालिका के अनुसार विद्यार्थी ने परीक्षा उत्तीर्ण की है?	• Yes/No
			• क्या दसवीं की अंकतालिका में अंकित जन्म दिनांक मय वर्ष का ऑनलाईन आवेदन में अंकित जन्म दिनांक से मिलान हो रहा है?	• Yes/No
			• क्या दसवीं की अंकतालिका में अंकित विद्यार्थी के नाम का ऑनलाइन आवेदन से मिलान कर लिया है?	• Yes/No
			• क्या दसवीं की अंकतालिका में अंकित पिता के नाम का ऑनलाइन आवेदन से मिलान कर लिया है?	• Yes/No

			• क्या दसवीं की अंकतालिका में अंकित माता के नाम का ऑनलाइन आवेदन से मिलान कर लिया है?	• Yes/No
3	पासपोर्ट आकार का फोटो (नवीन एवं नवीनीकरण ऑनलाईन आवेदन हेतु)	**शिक्षण संस्था के संस्था प्रधान /जिला स्तरीय छात्रवृति लिपिक/जिला स्तरीय स्वीकृतकर्ता अधिकारी**	• क्या विद्यार्थी का फोटो स्पष्ट है?	• Yes/No
			• क्या शैक्षणिक संस्थान के रिकार्ड में उपलब्ध फोटो से विद्यार्थी की फोटो का मिलान कर लिया गया है?	• Yes/No
4	जाति प्रमाण पत्र (केवल नवीन ऑनलाईन आवेदन के लिए)	**शिक्षण संस्था के संस्था प्रधान /जिला स्तरीय छात्रवृति लिपिक/जिला स्तरीय स्वीकृतकर्ता अधिकारी**	• क्या जाति प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में है?	• Yes/No
			• क्या जाति प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया है?	• Yes/No
			• क्या जाति प्रमाण पत्र में अंकित विद्यार्थी एवं उसके पिता का नाम सही है?	• Yes/No
			• क्या जाति प्रमाण पत्र जारी करने का क्रमांक एवं दिनांक सही है?	• Yes/No
5	मूल निवास प्रमाण पत्र (केवल नवीन ऑनलाईन आवेदन के लिए)	**शिक्षण संस्था के संस्था प्रधान /जिला स्तरीय छात्रवृति लिपिक/जिला स्तरीय स्वीकृतकर्ता अधिकारी**	• क्या मूल निवास प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में हैं?	• Yes/No
			• क्या मूल निवास प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया है?	• Yes/No
			• क्या मूल निवास प्रमाण पत्र में अंकित विद्यार्थी एवं उसके पिता का नाम सही है?	• Yes/No
			• क्या मूल निवास प्रमाण पत्र जारी करने का क्रमांक एवं दिनांक सही है?	• Yes/No
6	आय का घोषणा पत्र (एक पृष्ठीय–परिशिष्ठ–द) जिसका प्रारूप पोर्टल पर उपलब्ध है। (नवीन ऑनलाईन आवेदन हेतु)	**शिक्षण संस्था के संस्था प्रधान /जिला स्तरीय छात्रवृति लिपिक/जिला स्तरीय स्वीकृतकर्ता अधिकारी**	• क्या आय का घोषणा पत्र निर्धारित प्रारूप परिशिष्ठ–द में है?	• Yes/No
			• क्या आय का घोषणा पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित किया गया है?	• Yes/No
			• क्या आय का घोषणा पत्र विद्यार्थी के पिता/पति/ माता / संरक्षक के द्वारा हस्ताक्षरित किया गया है?	• Yes/No
			• क्या आय के घोषणा पत्र में दो उत्तरदायी व्यक्तियों के हस्ताक्षर अंकित है?	• Yes/No

			• क्या आय का घोषणा पत्र में अंकित राशि एवं ऑन लाइन आवेदन में अंकित राशि का मिलान कर लिया गया है?	• Yes/No
7	अंक तालिका (विगत उत्तीर्ण परीक्षा की) (नवीन एवं नवीनीकरण ऑनलाईन आवेदन के लिए) **(शिक्षण संस्था, जिला स्तरीय छात्रवृति लिपिक एवं जिला स्तरीय स्वीकृतकर्ता अधिकारी के लिए)**	**शिक्षण संस्था के संस्था प्रधान /जिला स्तरीय छात्रवृति लिपिक/जिला स्तरीय स्वीकृतकर्ता अधिकारी**	• क्या अंकतालिका सक्षम स्तर से जारी की गई है?	• Yes/No
			• क्या अंक तालिका के अनुसार विद्यार्थी ने गत परीक्षा उत्तीर्ण की है?	• Yes/No
			• क्या विद्यार्थी को कुछ विषयों में अनुतीर्ण होते हुए भी आगे की कक्षाओं के लिए क्रमोन्नत किया गया है?	• Yes/No
8	फीस की रसीद (नवीन एवं नवीनीकरण ऑनलाईन आवेदन के लिए)	**शिक्षण संस्था के संस्था प्रधान /जिला स्तरीय छात्रवृति लिपिक/जिला स्तरीय स्वीकृतकर्ता अधिकारी**	• क्या विद्यार्थी के नाम से जारी फीस की रसीद उसी शैक्षणिक सत्र की है?	• Yes/No
			• क्या शैक्षणिक संस्थान द्वारा जारी फीस की रसीद में क्रमांक एवं दिनांक अंकित है?	• Yes/No
			• क्या शैक्षणिक संस्थान द्वारा जारी फीस की रसीद में मदवार अलग–अलग राशि अंकित की गई है?	• Yes/No
			• क्या विद्यार्थी द्वारा ऑनलाईन अंकित राशि एवं फीस की रसीद में अंकित राशि का अंकन एक समान है?	• Yes/No
			• क्या फीस की रसीद में अंकित पाठ्यक्रम एवं ऑनलाईन अंकित पाठ्यक्रम का मिलान हो रहा है?	• Yes/No
9	विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र (विद्यार्थी विवाहित महिला होने की स्थिति में) (नवीन एवं नवीनीकरण ऑनलाईन आवेदन के लिए)	**शिक्षण संस्था के संस्था प्रधान /जिला स्तरीय छात्रवृति लिपिक/जिला स्तरीय स्वीकृतकर्ता अधिकारी**	• क्या विवाह पंजीयन प्रमाण विवाह पंजीयन अधिकारी द्वारा जारी किया गया है?	• Yes/No
			• क्या विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र विद्यार्थी के नाम से जारी किया गया है?	• Yes/No
			• क्या विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र में प्रमाण पत्र जारी करने का दिनांक एवं क्रमांक अंकित है?	• Yes/No

	आधार पंजीकरण संख्या ;म्प्क्द्ध उपलब्ध करवाए जाने की स्थिति मे।	**शिक्षण संस्था के संस्था प्रधान /जिला स्तरीय छात्रवृति लिपिक/जिला स्तरीय स्वीकृतकर्ता अधिकारी**	• क्या आधार पंजीकरण संख्या ;म्प्क्द्ध विद्यार्थी के नाम से जारी हैं?	• Yes/No
10	भामाशाह पंजीकरण संख्या उपलब्ध करवाए जाने की स्थिति मे।	**शिक्षण संस्था के संस्था प्रधान /जिला स्तरीय छात्रवृति लिपिक/जिला स्तरीय स्वीकृतकर्ता अधिकारी**	• क्या भामाशाह पंजीकरण संख्या विद्यार्थी एवं उसके परिवार के सदस्यों के नाम से जारी हैं?	• Yes/No
11	छात्रवृत्ति हेतु प्रमाण पत्र (आधार एवं भामाशाह पंजीकरण नहीं होने की स्थिति में)	**शिक्षण संस्था के संस्था प्रधान /जिला स्तरीय छात्रवृति लिपिक/जिला स्तरीय स्वीकृतकर्ता अधिकारी**	• क्या प्रमाण पत्र जन प्रतिनिधि के मुद्रित लेटर हेड पर जारी किया गया है?	• Yes/No
			• क्या प्रमाण पत्र सक्षम जनप्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षरित है?	• Yes/No
			• क्या प्रमाण पत्र पर सक्षम जनप्रतिनिधि की सील अंकित है?	• Yes/No
12	बी.पी.एल. कार्ड/अन्त्योदय कार्ड/ राज्य बीपीएल कार्ड (विद्यार्थी बी.पी.एल/ अन्त्योदय /राज्य बी.पी. एल. कार्डधारक होने की स्थिति में) (केवल अन्य/आर्थिक पिछडा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए)	**शिक्षण संस्था के संस्था प्रधान /जिला स्तरीय छात्रवृति लिपिक/जिला स्तरीय स्वीकृतकर्ता अधिकारी**	• क्या उक्त प्रमाण पत्र परिवार के नाम से सक्षम स्तर से जारी किया गया है?	• Yes/No
			• क्या कार्ड में विद्यार्थी का नाम अंकित है?	• Yes/No
			• क्या कार्ड में चयनित वर्ष एवं क्रमांक अंकित है?	• Yes/No
13	माता/पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र (विद्यार्थी के अनाथ होने की स्थिति में) (केवल अन्य/आर्थिक पिछडा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए)	**शिक्षण संस्था के संस्था प्रधान /जिला स्तरीय छात्रवृति लिपिक/जिला स्तरीय स्वीकृतकर्ता अधिकारी**	• क्या प्रमाण पत्र मृत्यु पंजीयक अधिकारी द्वारा जारी किया गया है?	• Yes/No
			• क्या प्रमाण पत्र विद्यार्थी के माता/पिता के नाम से जारी किया गया है?	• Yes/No
			• क्या प्रमाण पत्र में जारी करने का दिनांक एवं क्रमांक अंकित है?	• Yes/No
	पति का मृत्यु प्रमाण पत्र (विधवा महिला विद्यार्थी होने की स्थिति में) (केवल अन्य/आर्थिक पिछडा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए)		• क्या प्रमाण पत्र मृत्यु पंजीयक अधिकारी द्वारा जारी किया गया है?	• Yes/No
			• क्या प्रमाण पत्र विद्यार्थी के माता/पिता/पति के नाम से जारी किया गया है?	• Yes/No

			• क्या प्रमाण पत्र में जारी करने का दिनांक एवं क्रमांक अंकित है?	• Yes/No
14	पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र (विधवा के पुत्री/पुत्र विद्यार्थी होने की स्थिति में) (केवल अन्य/आर्थिक पिछडा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए)	**शिक्षण संस्था के संस्था प्रधान /जिला स्तरीय छात्रवृति लिपिक/जिला स्तरीय स्वीकृतकर्ता अधिकारी**	• क्या प्रमाण पत्र मृत्यु पंजीयक अधिकारी द्वारा जारी किया गया है?	• Yes/No
			• क्या प्रमाण पत्र विद्यार्थी के पिता के नाम से जारी किया गया है?	• Yes/No
			• क्या प्रमाण पत्र में जारी करने का दिनांक एवं क्रमांक अंकित है?	• Yes/No
15	तलाकशुदा महिला के पक्ष न्यायालय का आदेश (तलाकशुदा महिला विद्यार्थी होने की स्थिति में) (केवल अन्य/आर्थिक पिछडा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए)	**शिक्षण संस्था के संस्था प्रधान /जिला स्तरीय छात्रवृति लिपिक/जिला स्तरीय स्वीकृतकर्ता अधिकारी**	• क्या आदेश सक्षम न्यायालय द्वारा जारी किया गया है?	• Yes/No
			• क्या आदेश विद्यार्थी के पक्ष में जारी किया गया है?	• Yes/No
			• क्या आदेश में जारी करने का दिनांक एवं क्रमांक अंकित है?	• Yes/No
16	तलाकशुदा महिला के पक्ष में जारी न्यायालय का आदेश (तलाकशुदा महिला के पुत्री/पुत्र विद्यार्थी होने की स्थिति में) (केवल अन्य/आर्थिक पिछडा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए)	**शिक्षण संस्था के संस्था प्रधान /जिला स्तरीय छात्रवृति लिपिक/जिला स्तरीय स्वीकृतकर्ता अधिकारी**	• क्या आदेश सक्षम न्यायालय द्वारा जारी किया गया है?	• Yes/No
			• क्या आदेश विद्यार्थी की माता पक्ष में जारी किया गया है?	• Yes/No
			• क्या आदेश में जारी करने का दिनांक एवं क्रमांक अंकित है?	• Yes/No
17	विशेष योग्यजन प्रमाण पत्र (विशेष योग्यजन स्वयं अथवा उनके पुत्री/पुत्र विद्यार्थी होने की स्थिति में) (केवल अन्य/आर्थिक पिछडा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए)	**शिक्षण संस्था के संस्था प्रधान /जिला स्तरीय छात्रवृति लिपिक/जिला स्तरीय स्वीकृतकर्ता अधिकारी**	• क्या प्रमाण पत्र सक्षम स्तर से जारी किया गया है?	• Yes/No
			• क्या प्रमाण पत्र विद्यार्थी / माता/पिता के नाम से जारी किया गया है?	• Yes/No
			• क्या प्रमाण पत्र में जारी करने का दिनांक एवं क्रमांक अंकित है?	• Yes/No
18	विद्यार्थी के आवेदन पत्र के संबंध में संस्था प्रधान की टिप्पणी (To be generated according to logic by system)	**शिक्षण संस्थान के संस्था प्रधान**	• क्या विद्यार्थी का आवेदन पत्र आक्षेप योग्य है? • क्या विद्यार्थी का आवेदन पत्र अस्वीकृति/स्थायी खारिज योग्य है? खारिज करने का कारण अंकित किया जाएगा। • क्या विद्यार्थी का आवेदन पत्र स्वीकृति योग्य है? • आवेदन पत्र स्वीकृति योग्य	• Yes/No

			होने के कारण स्वीकृति हेतु ऑनलाईन फारवर्ड किया जाता है।	

परिशिष्ट–स

छात्रवृति हेतु प्रमाण पत्र

(उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना में आवेदन करते समय विद्यार्थी द्वारा आधार नम्बर एवं भामाशाह पंजीकरण नहीं करवाने की स्थिति में आवेदन पत्र के साथ यह प्रमाण पत्र ऑनलाईन संलग्न किया जावे)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री/श्रीमती .... निवासी .... ग्राम पंचायत/नगरीय निकाय .... तहसील ....जिला .... राजस्थान का निवासी है।

श्री/सुश्री/श्रीमती .... शैक्षणिक सत्र 2015–16/ 2016–17 में राजकीय/मान्यता प्राप्त निजी शिक्षण संस्थान (शिक्षण संस्थान का नाम)... तहसील .... जिला.. में नियमित अध्ययनरत हैं, इस संस्थान के अतिरिक्त अन्यत्र किसी भी शिक्षण संस्थान में नियमित अध्ययनरत नहीं है। इन्होंने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना में छात्रवृति प्राप्त करने हेतु इस शिक्षण संस्थान से ही आवेदन किया है। इसके अतिरिक्त अन्य किसी शिक्षण संस्थान से अन्य किसी भी छात्रवृति योजना में छात्रवृति प्राप्त करने हेतु अन्य कोई आवेदन नहीं किया है।

उक्त प्रमाण पत्र आज दिनांक .... को मेरे द्वारा हस्ताक्षर एवं सील के साथ जारी किया गया।

हस्ताक्षर

नाम :
मोबाईल नं.
(संसद सदस्य/विधानसभा सदस्य/जिला प्रमुख/ प्रधान/सरपंच/महापौर/नगर परिषद/नगर पालिका अध्यक्ष)

परिशिष्ट–द

आय का घोषणा पत्र

(पिता/माता/पति/पत्नी/संरक्षक द्वारा भरा जायेगा)
उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजनाओं के लिए

प्रारूप भाग–I

1. निवास स्थान का पूर्ण पताः–...
2. प्रार्थी (विद्यार्थी केपिता/माता/पति/पत्नी/संरक्षक) का नाम..
   पिता/पति का नाम श्री.......................................आयु........वर्ष........माह ....
   तह..............................जिला....................................पिनकोड..........................
3. स्वयं /स्वयं की एवं पति की समस्त स्त्रोतोंसे सम्मिलित वार्षिक आय का विवरणः–

(1) कृषि भूमि(....................) आदि से आयः रू.		(2) वृत्ति, सेवा लाभ, अनुदान, निकाय आदि से आयः रू. .....
(3) वेतन, पेंशन, भत्ते, मानदेय, नियोजन, मजदूरी आदि से आयः रू......................................		(4) मशीनरी, किराये, दुकानदार, कारोबार, व्यवसाय या ब्याज, लाभांश से आयः रू. ....
(5) अन्य स्त्रोतों से आयः रू.		कुल वार्षिक आयः रू. ....

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि उपरोक्त विवरण मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सही है।

दिनांक................................ प्रार्थी का नाम व हस्ताक्षर

प्रारूप भाग–II

(दो उत्तरदायी व्यक्तियों के साक्ष्य प्रमाण–पत्र)

हम शपथ पूर्वक बयान करते है कि प्रार्थी/प्राथियॉ...पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ....निवासी..को भली प्रकार से जानते है। इनके द्वारा उपरोक्तानुसार की गई घोषणा के हम साक्षी है। हमारी जानकारी में उक्त वर्णित आय के अलावा प्रार्थी/प्रार्थियॉ के पास आय का कोई अन्य स्त्रोत नहीं है।

(1) हस्ताक्षर/उत्तरदायी व्यक्ति
नाम...
(पद नाम मय दिनांक)

(2) हस्ताक्षर/उत्तरदायी व्यक्ति
नाम..................................
(पद नाम मय दिनांक)

....

नोट :–(उत्तरदायी व्यक्ति यथा–संसद सदस्य/विधानसभा सदस्य/जिला प्रमुख/प्रधान/जिला परिषद सदस्य/सरपंच/वार्ड पंच/महापौर/उप महापौर/नगर निगम/नगर पालिका अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/वार्ड पार्षद/वार्ड मेम्बर/राजकीय अधिकारी/कर्मचारी से अभिशंषा करवाए।)

प्रारूप भाग–III (शपथ –पत्र)

मैं ....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री..शपथपूर्वक उद्घोषणा करता/करती हूँ कि मेरा/मेरी एवं मेरे पति/पत्नी की(जो भी लागू) समस्त स्त्रातों से कुल वार्षिक आय रू..............अक्षरे रू. ....है। उक्त शपथ–पत्र मेरी निजी जानकारी से लिखा गया है, जो सही है। इसमें कोई तथ्य नहीं छुपाया गया है और न ही असत्य लिखा है। ईश्वर साक्षी है। इस शपथ पत्र में अंकित तथ्य एवं शपथपूर्वक उद्घोषित वार्षिक आय का गलत अथवा मिथ्या होना अथवा किसी तथ्यों में फेरबदल करना, किसी तथ्य को छुपाना, तथ्यों को तोड़–मरोड़ कर पेश करना, सरकार को गुमराह करने का प्रयास करना इत्यादि भारतीय दण्ड संहिता धारा 177, 197, 198, 199, 200 एवं 420 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आते हैं। मैं , यह अच्छी तरह समझता हूं कि मेरे द्वारा उपरोक्त कृत्य करने पर मेरे विरूद्व उपरोक्त धाराओं में फौजदारी मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही की जा सकती है तथा दोषी पाए जाने पर मुझे 3 से 7 वर्ष तक के कारावास की सजा हो सकती है।

हस्ताक्षर एवं नाम शपथग्रहिता

प्रारूप भाग–IV(प्रमाणीकरण)

उपरोक्त (शपथकर्ता का नाम) ....पिता/पति का नाम .... आयु.....................निवासी..ने मेरे समक्ष उपस्थित होकर शपथपूर्वक उक्तानुसार अभिकथन किया है, जिसे प्रमाणीकृत की पहचान ....के द्वारा की गई है।

हस्ताक्षर मय सील

प्रमाणीकरण अधिकारी

(कार्यपालक मजिस्ट्रेट/तहसीलदार/नायबतहसीलदार/नगर निकायों के अधिकारी/नोटरी पब्लिक/ऑथ कमिश्नर/राजपत्रित अधिकारी/अन्य प्राधिकृत अधिकारी) का नाम व पद मय मुहर